<u>३१.१०.२०२२</u>

पत्रावली पेश हुई। थाना थरियांव की पुलिस द्वारा जमानतदार आशीष कुमार व सतीश चन्द्र में से आशीष कुमार को प्रस्तुत किया गया और यह आख्या दी गयी कि पूर्व में भी प्रस्तुत किए जाने पर इनके द्वारा अन्डरटेकिंग दी गयी थी। जमानतदार आशीष कुमार की ओर से जमानत की धनराशि जमा किए जाने हेतु पन्द्रह दिवस के समय की याचना की गयी, जिस पर अन्तिम अवसर के रूप में जमानतदार आशीष कुमार को इस आशय का आबद्धनामा दाखिल करने पर पन्द्रह दिवस का समय प्रदान करते हुये रिहा किया जाता है कि वह पन्द्रह दिवस के अन्दर अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित करगा या जमानत की धनराशि जमा करेगा। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक १५.११.२२ को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–१,
फतेहपुर।